

न्यायालय/कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।

संख्या- 18 /2023,

दिनांक: अक्टूबर 16, 2023

आदेश

माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चमोली से पूर्व अनुमति एवं विचार-विमर्श के उपरान्त दाण्डिक न्याय प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 15(2) आदि में वर्णित विधिक उपबन्धों को दृष्टिगत रखते हुए जिला चमोली में स्थित मजिस्ट्रेट न्यायालयों के लिंक/प्रभारी मजिस्ट्रेट के सन्दर्भ में पूर्व में पारित आदेशों को अतिक्रमित/संशोधित करते हुए, मजिस्ट्रेट न्यायालयों के रिमाण्ड/जमानत आदि के सन्दर्भ निम्नलिखित व्यवस्था की जाती है-

न्यायालय का नाम	लिंक मजिस्ट्रेट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।	सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर।
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर।	न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।
न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।	सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर।
सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग।	सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग।
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग।	सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग।
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोशीमठ।	सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर।
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, थराली।	सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग।
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गैरसैण।	सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग।
सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोखरी।	सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर।

1. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
2. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर व न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की अवस्था में रिमाण्ड तथा सम्बन्धित कार्य का निष्पादन सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग द्वारा किया जाएगा।
3. सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की अवस्था में रिमाण्ड तथा सम्बन्धित कार्य का निष्पादन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली द्वारा किया जाएगा।
4. सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग एवं सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट/कर्णप्रयाग के अवकाश पर रहने या कार्यालय से

बाहर रहने की अवस्था में रिमाण्ड तथा सम्बन्धित कार्य का निष्पादन न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली द्वारा किया जाएगा।

5. रिमाण्ड मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने या मुख्यालय से बाहर रहने की अवस्था में रिमाण्ड तथा सम्बन्धित कार्य का निष्पादन उनके प्रभारी मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाएगा।
6. रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट के प्रशिक्षण में जाने पर या अवकाश के दिवसों पर किसी अन्य शासकीय कार्य के दायित्व या निर्वहन करने (यथा लोक अदालत की बेंच हेतु नामित होने इत्यादि) की स्थिति में उनके स्थान पर प्रभारी मजिस्ट्रेट की सहमति लेना आवश्यक नहीं होगा। परन्तु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा प्रभारी मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।
7. उपर्युक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में स्पष्ट किया जाता है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्रावधानों के अनुसार किसी कारणवश अवकाश के दिवस पर रिमाण्ड कार्य हेतु नामित किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपलब्धता न होने पर या उनके मुख्यालय से बाहर होने की अवस्था में रिमाण्ड तथा जमानत से सम्बन्धित सभी कार्य जिला मजिस्ट्रेट, चमोली द्वारा नामित गोपेश्वर अथवा कर्णप्रयाग में कार्यरत कार्यपालक मजिस्ट्रेट द्वारा सम्पादित किया जाएगा।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।

पत्रांक : 279(XIV) 2023, गोपेश्वर : दिनांक : अक्टूबर 16, 2023
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित-

- 1- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, चमोली को अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, चमोली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, चमोली।
- 4- सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग।
- 5- सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोपेश्वर।
- 6- न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।
- 7- सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, जोशीमठ।
- 8- सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पोखरी।
- 9- सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, थराली।
- 10- सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग।
- 11- सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, गैरसैण।
- 12- सचिव, बार संघ, चमोली-गोपेश्वर/जोशीमठ/पोखरी/कर्णप्रयाग/थराली/गैरसैण।
- 13- ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, चमोली।
- 14- सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, चमोली।
- 15- गार्ड फाईल।

(सचिन कुमार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।